FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

बजरंग सिंह बनाम रघुवीर सिंह वगै0

किस्म मुकदमा:– प्रार्थना पत्र पुनरावलोकन रिव्यू 151, 152 सीपीसी मुकदमा नम्बर:– 7/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
24.01.2024	वादी–बजरंगसिंह ने जरिये अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा एड0 न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत पुनरावलोकन–रिव्यू अन्तर्गत धारा 151, 152 सीपीसी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दावा हाजा माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 08–12–2022 को निर्णय–डिक्री न्यायालय द्वारा उक्त दावा हाजा में पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 23–3–2022 की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा विधिक विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्र क्रमांक/भू.अ./22/2142 दिनांक 28–07–2022 के द्वारा भिजवाये गये थे। जिसके संबंध में उक्त दावा हाजा में प्रार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र मय संलग्न नजरी नक्शा दिनांक 05–08–2022 को प्रस्तुत किया था। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दावा पत्रावली में शामिल कर दिया गया था। जिसमें प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1822/1600 रक्बा 0.0900 हैक्टर तन ग्राम छीलावाली पटवार हल्का महरोली का राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शा ट्रेस प्रार्थी के नाम अलग से दर्ज कर दिया गया परन्तु तन ग्राम महरोली की भूमि खसरा नम्बर 1827/1 रक्बा 0.4600 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 1611 रक्बा 0.3700 हैक्टर में प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शा ट्रेस में खातेदारी अलग से दर्ज नही होने से प्रार्थी को सख्त हक तलफी है। प्रार्थी ने तहसीलदार श्रीमाधोपुर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 18–07–23 को तन ग्राम महरोली की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1827/1 रक्बा 0.4600 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 1611 रक्बा 0.3700 हैक्टर में प्रार्थी के नाम उसके हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि का अलग से राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शा ट्रेस बनाया जाकर अलग से खातेदारी दर्ज करवाने बाबत पेश किया गया। जिस पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा पटवारी हल्का महरोली से रिपोर्ट ली जाने पर पटवारी हल्का महरोली द्वारा सहमति बंटवारा या जरिये	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:06:54 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करने बाबत अपनी रिपोर्ट में अंकित किया जबकि उक्त दावा हाजा आपसी राजीनामा के आधार पर निर्णय व डिक्री फरमाया गया था परन्तु तन ग्राम महरोली की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1827/1 रक्बा 0.4600 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 1611 रक्बा 0.3700 हैक्टर में प्रार्थी के नाम अलग से राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शा ट्रेस में खातेदारी दर्ज नही हुयी। जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु वादी ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष हेतु दावा हाजा की मूल पत्रावली तलब फरमायी जाकर दावा हाजा की पत्रावली पर प्रार्थी–वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय संलग्न नजरी नक्शा दिनांक 05–08–2022 का पुनरावलोकन कर संशोधित निर्णय व डिक्री जारी फरमायी जाकर तन ग्राम महरोली की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1827/1 रक्बा 0.4600 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 1611 रक्बा 0.3700 हैक्टर में प्रार्थी की हक हिस्सा एवं खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि की खातेदारी प्रार्थी के नाम अलग से राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शा ट्रेस में दर्ज किये जाने के आदेश भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रदान किये जाने का निवेदन अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में किया है। वादी–बजरंगसिंह के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित मूल वादपत्र पत्रावली फैसलशुदा रिकार्ड से तलब की गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर वकील वादी को सुना गया। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामों का अवलोकन किया गया एवं प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय संलग्न नजरी नक्शा दिनांक 05–08–2022 का अवलोकन किया गया एवं बाद अवलोकन प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पुनरावलोकन अन्तर्गत धारा 151, 152 सीपीसी न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:06:54 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
अतः वकील प्रार्थी / वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पुनरावलोकन अन्तर्गत धारा 151, 152 सीपीसी न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा आदेश पारित किया जाता है कि तन ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1827 / 1 रक्बा 0.4600 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 1611 रक्बा 0.3700 हैक्टर में वादी की हक हिस्सा एवं खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि जो वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय संलग्न नजरी नक्शा दिनांक 05–08–2022 में वर्णित / दर्शित की हुयी है, उसकी खातेदारी वादी के नाम राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शा ट्रेस में अलग से मिन / बट्टा नम्बर डालकर अलग से दर्ज / तरमीम किये जाने एवं अलग से लगान कायम किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा प्रार्थना पत्र मय संलग्न नजरी नक्शा दिनांक 05–08–2022 को संशोधित डिक्री का भाग बनाया जाता है। तद्नुसार खातेदारी वादी के नाम अलग से राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शा ट्रेस में दर्ज किये जाने एवं अलग से लगान कायम किये जाने के आदेश भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रदान किये जाते है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को यह भी आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवचंना की जॉच कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। तद्नुसार संशोधित [illegible]री हो। पत्रावली प्रार्थना पत्र पुनरावलोक[illegible] सीपीसी न्यायालय में दर्ज रजिस्टर की जावे। पत्रावली फैसल[illegible]मार होकर बाद तकमील मूल वादपत्र के हमफिता होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:36:54 IST
Reason: SelfAttested

24/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)